तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
8/8/2019	सरकारी पैरो० उप०। वकील अप्रार्थी उप०। जिन्होने बहस हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रा० दि० 19/08/2019 को पेश हो। सहायक कलेक्टर पाली
19.8.19	सरकारी पैरोकार उपस्थित। वकील अप्रार्थी उपस्थित। उभय पक्ष को स्थगन पर सुना गया। सरकारी पैरोकार ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि की किस्म बारानी सो० है जिसमें अप्रार्थी भूमि को बिना रूपान्तरण कराये वादग्रस्त भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया है तथा मौके पर प्लॉटिंग एवं मकान बनाकर भूमि का स्वरूप एवं उपजाऊपन बिगाड़ रहे हैं इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण मिथ्याआधारों पर पेश किया है आवेदन में वर्णित ख.नं. 58/2 की भूमि आज भी कृषि कार्य प्रयोग हो आ रही है एवं भूमि को भूखण्डों के रूप में विभाजित नहीं कर खातेदार ने स्वयं के लिए आवास निर्माण अवश्य किया है इसलिए अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे यह प्रतीत होता है कि विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए अप्रार्थी के विरूद्व अस्थाई/स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। अत: पत्रावली में दि० 15-06-2018 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को CONFIRM किया जाता है। तावफैसला मूल वाद पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर पाली (राज.)

Scanned by CamScanner